नूह में इंटरनेट और SMS सेवाएँ निलंबित

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक [शांति](#) बनाए रखने और **गलत सूचना** के प्रसार को रोकने के लिये सतर्कता के तौर पर **नूह ज़िले** में मोबाइल [इंटरनेट](#) और बल्क **SMS सेवाओं** को 24 घंटे के लिये **निलंबित** किया।

मुख्य बिंदु

- **आदेश के बारे में:**
  - हरियाणा **गृह विभाग** ने **दूरसंचार अधिनियम, 2023** की धारा 20 तथा **दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024** के नियम 3 के तहत **निलंबन निर्देश** जारी किया।
  - इस आदेश के अंतर्गत मोबाइल **इंटरनेट सेवाएँ** (2G/3G/4G/5G/**CDMA**/**GPRS**), बल्क **SMS सेवाएँ** (बैंकिंग और मोबाइल **रीचार्ज** से संबंधित सेवाओं को छोड़कर) तथा **डोंगल-आधारित इंटरनेट सेवाएँ निलंबित** कर दी गईं।
  - **जनता** को होने वाले व्यवधान को **न्यूनतम** रखने के लिये **वॉयस कॉल**, **ब्रॉडबैंड इंटरनेट** तथा **कॉर्पोरेट लीज़ लाइन** जैसी आवश्यक **संचार सेवाएँ** चालू रहीं।
- **दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024:**
  - **अनिवार्य प्रकाशन:** इंटरनेट शटडाउन सहित **दूरसंचार सेवाओं** को **निलंबित** करने वाले सभी **आदेशों** को **स्पष्ट कारणों**, **भौगोलिक क्षेत्र** और **अवधि** के साथ **प्रकाशित** किया जाना चाहिये।
    - **अधिकतम अवधि:** निलंबन अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती।
  - **सक्षम प्राधिकारी:** निलंबन आदेश केवल **"सक्षम प्राधिकारी"** द्वारा ही जारी किया जा सकता है,जो केंद्र सरकार के लिये **केंद्रीय गृह सचिव** और राज्यों के लिये **राज्य गृह सचिव** है।
  - **समीक्षा तंत्र:** किसी आदेश के जारी होने के 5 दिनों के भीतर उसकी वैधता की समीक्षा हेतु **समीक्षा समिति** की बैठक आवश्यक है।
    - **केंद्रीय समीक्षा समिति** की अध्यक्षता [कैबिनेट सचिव](#) करते हैं, जबकि **राज्य समिति** की अध्यक्षता **मुख्य सचिव** करते हैं।
  - **नोडल अधिकारी:** लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं को **निलंबन आदेश प्राप्त करने और उन्हें लागू करने के लिये** प्रत्येक सेवा क्षेत्र में एक **नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा।**
  - **सुरक्षित संचार:** केवल **पुलिस अधीक्षक** या उससे उच्च स्तर के अधिकारी ही इन आदेशों को **लिखित रूप में** या **सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम** से संप्रेषित कर सकते हैं।

नोट: ***???????? ????? ????? ????? ????*** (2020) केस में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने स्पष्ट किया कि **इंटरनेट एक्सेस** पर सरकार द्वारा लगाया गया कोई भी **प्रतिबंध अस्थायी**, **सीमित**, **वैध**, **आवश्यक** तथा **आनुपातिक** होना चाहिये।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/internet-and-sms-services-suspended-in-nuh